



## प्रेस नोट

थाना - बाबूगढ़ दिनांक- 04.05.2024

**थाना बाबूगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद ।**

### कार्यवाही-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 132/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को बागड़पुर अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मौ0 रामनगर कस्वा गुलावठी थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।

### बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 06/23 धारा 379.411 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।
2. मु0अ0सं0 14/23 धारा 379.411 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।
3. मु0अ0सं0 15/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 132/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।
5. मु0अ0सं0 135/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जगतपाल थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।
2. है0कां0 303 अमित कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।